[2022] 1 एस. सी. आर 847

स्वर्णलता और ओ. आर. एस. बनाम

ए.

कलावती और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2022 का 1565) 30 मार्च, 2022

बी.

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

वसीयत-वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियाँ-स्वीकार्यता की याचिका-एक विवाहित जोड़े द्वारा छोड़ी गई दो अलग-अलग वसीयतें (वसीयतकर्ता)-दोनों पति-पत्नी प्रत्येक एक वसीयत को निष्पादित करते हैं-अपीलार्थीगण वसीयतकर्ताओं के पूर्व-मृत बड़े/पहले बेटे के हित में उत्तराधिकारी होते हैं-प्रत्यर्थी नं।1 और।2 वे क्रमशः वसीयतकर्ताओं की बेटी और अन्य/दूसरा बेटा हैं-जिला न्यायालय ने वसीयत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों के बारे में प्रत्यर्थीओं के आरोपों को खारिज कर दिया और अपीलार्थीगण के पक्ष में दोनों वसीयतों की जांच की अनुमति दी-उच्च न्यायालय ने विभिन्न संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला देते हुए जिला प्रोबेट कोर्ट के फैसले को उलट दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि प्रतिवादी नं.1-वसीयतों से बेटी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःवसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों में से एक का बहिष्कार, अपने आप में यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है कि संदिग्ध परिस्थितियां हैं-वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में, न्यायालय के लिए यह देखने के लिए कोई जगह नहीं है कि वसीयतकर्ता द्वारा किया गया वितरण उसके सभी बच्चों के लिए उचित और न्यायसंगत था या नहीं-न्यायालय वसीयत के तहत स्वभाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू नहीं करता है-जिला परिवीक्षा न्यायालय के फैसले को उलटते हुए, उच्च न्यायालय ने कुछ संदिग्ध परिस्थितियों को दर्ज किया, लेकिन ऐसी प्रत्येक परिस्थिति, न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से संदेह पैदा करती है-उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सभी पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की और एक निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कारणों का आविष्कार किया जो तर्क की रेखा से पहले प्रतीत होता है-जिला न्यायालय का निर्णय, अनुदान देते हुए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.**परिवीक्षाधीन न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, उच्च न्यायालय ने कुछ संदिग्ध परिस्थितियों को दर्ज किया, लेकिन ऐसी प्रत्येक परिस्थिति, न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से ए

एच.

847

848 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

संदेह पैदा करता है।उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सभी पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कारणों का आविष्कार करने के लिए आगे बढ़ा जो तर्क की रेखा से पहले प्रतीत होता है।**[**पारस **16,17** और **18] [852-**एफ; **854-**सी, एफ**]**

2. एक बार जब यह पाया जाता है कि पिता ने न केवल मां की वसीयत **(**प्रदर्शनी पी**-1)** को सत्यापित किया है और एक बार यह पाया जाता है कि अपनी वसीयत **(**प्रदर्शनी पी**-2)** में, जो एक पंजीकृत वसीयत है, पिता ने मां की वसीयत के बारे में उल्लेख किया था, तो सभी संदिग्ध परिस्थितियां जो पेश की जानी चाहिए, वे अपने आप जमीन पर गिर जाएंगी। **[**पैरा **20] [854-**एच; **855-**ए**]**

बी.

3. जब यह प्रत्यर्थीगणओं का मामला भी नहीं था कि वसीयतकर्ता स्वस्थ और मानसिक स्थिति में नहीं थे, तो उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उनके द्वारा पीड़ित बीमारियों की प्रकृति का खुलासा नहीं करने के लिए दोष पाया।वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों में से एक का बहिष्कार, अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं।प्रदर्शनी पी**-1** में दिए गए कारण यह दिखाने के लिए आश्वस्त करने से कहीं अधिक हैं कि बेटी का बहिष्कार बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हुआ है।यदि प्रदर्शनी पी**-1 (**वसीयत**)** को माँ के हस्ताक्षर वाले खाली कागजों पर गढ़ा गया होता, तो पिता के लिए अपनी वसीयत **(**प्रदर्शनी पी**-2)** में माँ द्वारा वसीयत के निष्पादन के बारे में उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं होता।**[**पैरा **21] [855-**ए-सी**]**

सी.

डी.

ई.

4. यह ज्ञात नहीं है कि उच्च न्यायालय ने वसीयतों की जांच की मांग में अपीलार्थीगण की ओर से देरी को एक संदिग्ध परिस्थिति कैसे माना।प्रदर्शनी पी**-1** को **30.01.1995** पर निष्पादित किया गया था और टेस्टैट्रिक्स की मृत्यु **14.08.1995** पर हुई थी।पिता **08.08.2000** तक जीवित थे।इसलिए**,** अपीलार्थीगण को उक्त वसीयत की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।**08.08.2000** पर मन्नार रेड्डियार **[**वसीयतकर्ता**-**पिता**]** की मृत्यु के बाद**,** अपीलार्थीगण को स्पष्ट रूप से कोई समर्थन नहीं था**,** इस तथ्य के कारण कि वसीयतकर्ताओं के पहले बेटे वी**.** एम**.** चंद्रशेखरन **(**अपीलकर्ता नंबर **1** के पति और अपीलकर्ता **<ID2** और **3** के पिता**)** ने पिता मन्नार रेड्डियार की पूर्व**-**मृत्यु कर दी थी**,** जिनकी अक्टूबर **1999** में मृत्यु हो गई थी।अपीलार्थीगण के लिए वसीयत की जांच करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न हुआ जब प्रत्यर्थीगणओं ने **2005** के ओ**.** एस**. No.387** में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया।इसलिए**,** वास्तव में अपीलार्थीगण की ओर से प्रोबेट की मांग में कोई देरी नहीं हुई।**[**पारस **22,23] [855-**सी**-**एफ**]** ए

एफ.

जी.

एच.

849

स्वर्णलता और ओ. आर. एस. बनामकलावती और ओआरएस।

5. उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनी पी**-2 (**वसीयत**)** के पंजीकरण के समय के बारे में अपीलार्थी संख्या **1** की ओर से जानकारी की कमी और पीडब्लू**-1** के रूप में उसके बयान और पीडब्लू **4** और **5** के बयानों के बीच मामूली विरोधाभासों के बारे में बहुत अधिक पढ़कर एक कठिन स्थिति पैदा कर दी। प्रदर्शनी पी**-2** के निष्पादन के समय बेटी और दूसरी बहू की उपस्थिति सुनिश्चित करने में वसीयतकर्ता मन्नार रेड्डियार की विफलता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है।**[**पैरा **24] [855-**एफ**-**एच**]**

बी.

6. वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों से संबंधित कानून पहले से ही अच्छी तरह से तय है।जिन मामलों में संदेह पैदा किया जाता है**,** वे अनिवार्य रूप से वे होते हैं जहां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विवादित होते हैं या वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता पर सवाल उठाया जाता है।वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में**,** न्यायालय के लिए यह देखने के लिए कोई जगह नहीं है कि वसीयतकर्ता द्वारा किया गया वितरण उसके सभी बच्चों के लिए उचित और न्यायसंगत था या नहीं।न्यायालय वसीयत के तहत व्यवहार पर अनुच्छेद **14** लागू नहीं करता है।**[**पैरा **25] [855-**एच**; 856-**बी**-**

सी]**7.** एक वस्तुनिष्ठ मस्तिष्क के लिए वसीयतकर्ताओं की बेटी और दूसरे बेटे के एक साथ आने के कारणों को समझना मुश्किल नहीं है।विल्स प्रदर्शनी पी**-1** और पी**-2** दोनों के तहत**,** दोनों बेटों के बीच संपत्तियों को समान रूप से वितरित किया गया है।पहले बेटे वी**.** एम**.** चंद्रशेखरन अब नहीं रहे।स्वीकार्य रूप से प्रत्यर्थी नं।**1'**उनकी बेटी की शादी वी**.** एम**.** शिवकुमार**-**प्रतिवादी नं**.2 (**वसीयतकर्ता का दूसरा पुत्र**)**।इसलिए**,** यदि दो वसीयतों के तहत वसीयत चली जाती है**,** तो वी**.** एम**.** शिवकुमार के परिवार को अंततः संपत्तियों का दो तिहाई हिस्सा मिल सकता है**,** जो वसीयतों के तहत आधा हिस्सा पाने की तुलना में वी**.** एम**.** शिवकुमार के लिए अधिक फायदेमंद है।उच्च न्यायालय ने इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और संदेह के साथ वसीयत का विश्लेषण करना शुरू कर दिया।**[**पैरा **26] [856-**डी**-**ई**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

8. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और दोनों वसीयतों की जांच करने वाले जिला न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।**[**पैरा **27] [856-**एफ**]**

जी.

कविता कंवर बनाम श्रीमती पामेला मेहता और अन्य। एआईआर **2020** एससी **544:**एच**.** वेंकटचाला अयंगर बनाम बी**.** एन**.**

थिम्माजम्मा, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443:[1959] 1 पूरक।एस. सी. आर. 426-संदर्भित।

एच.

ए.

मामला कानून संदर्भ

आकाशवाणी **2020 2614**

पैरा **25**

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1565।

बी.

2010 के सी. एम. ए. सं. 2906 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2018 से।

वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर, एस. राजप्पा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

सी.

जयंत मुथराज, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवीसिगमणि सरवनन, श्रीमती मालविका जयंत, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी**.** रामसुब्रमण्यन

डी.

1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 384 के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद, जिला न्यायालय द्वारा दो अंतिम वसीयतों और वसीयतनामा, एक पिता द्वारा और दूसरे मां द्वारा दिए गए प्रोबेट के संबंध में, वसीयत के तहत दावा करने वाले वसीयतधारियों का एक समूह उपरोक्त अपील के साथ आया है।

ई.

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथराज को सुना है।

3. दंपति, मन्नार रेड्डियार और आदिलक्ष्मीम्मल के दो बेटे थे जिनका नाम वी. एम. चंद्रशेखरन और वी. एम. शिवकुमार और एक बेटी जिसका नाम कलावती था।

एफ.

4. माँ आदिलक्ष्मीम्मल की मृत्यु 14.08.1995 पर हुई।वह अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गई, जिसमें उसके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों और अपने मामा से मिली संपत्तियों को अपने दो बेटों के पक्ष में वसीयत किया गया था।बेटी कलावती को इस आधार पर कोई हिस्सा नहीं दिया गया था कि उसे पहले ही पर्याप्त रूप से प्रदान किया जा चुका था।5. पिता मन्नार रेड्डियार की मृत्यु 08.08.2000 पर हुई थी।उन्होंने अपने पीछे अपने दो बेटों और पोते-

पोतियों के पक्ष में अपनी संपत्तियों को विरासत में देने के लिए 10.12.1998 की एक वसीयत छोड़ी।बेटी कलावती को इस वसीयत के तहत भी कोई संपत्ति आवंटित नहीं की गई थी, लेकिन वसीयत में कारण थे।

जी.

एच.

851

स्वर्णलता और ओ. आर. एस. बनामकलावती और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन] ए

ए.

6. सबसे बड़े बेटे वी. एम. चंद्रशेखरन की बाद में अक्टूबर, 1999 में मृत्यु हो गई, जिससे वे जीवित रह गए, उनकी पत्नी स्वर्णलता और दो बेटे सी. कार्तिकेयन और सी. ऋषिकेशन, जो इसमें अपीलार्थीगण हैं।

7. इसके बाद, बेटी कलावती और जीवित बेटे वी. एम. शिवकुमार (वसीयतकर्ताओं में से) ने जिला मुन्सिफ कोर्ट, पूनमल्ली की फाइल पर 2005 के ओएस No.387 में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया।उसी के बारे में पता चलने पर, अपीलार्थीगण, जो सबसे बड़े बेटे वी. एम. चंद्रशेखरन की पत्नी और बेटे हैं, ने मन्नार रेड्डी और आदिलक्ष्मीम्मल की वसीयतों के प्रोबेट के अनुदान के लिए अधिनियम की धारा 270,276 और 289 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश, वेल्लोर की फाइल पर 2005 के प्रोबेट ओ. पी. नंबर 1 में एक याचिका दायर की।वसीयतकर्ताओं की बेटी और अन्य बेटे ने याचिका का जोरदार विरोध किया।हालाँकि, 7.06.2010 के एक फैसले द्वारा, जिला न्यायालय ने दोनों वसीयतों, अर्थात् माँ आदिलक्ष्मीम्मल द्वारा निष्पादित 30.01.1995 की वसीयत और पिता मन्नार रेड्डियार द्वारा निष्पादित 10.12.1998 की वसीयत की जांच की अनुमति दी।

बी.

सी.

डी.

8. परिवीक्षाधीन न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, वसीयतकर्ताओं की बेटी और दूसरे बेटे (उत्तरदाता 1 और 2) ने मद्रास में उच्च न्यायालय की फाइल पर अधिनियम की धारा 384 के तहत अपील दायर की।उक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर विवादित फैसले द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि दोनों वसीयतों के निष्पादन को लेकर संदिग्ध परिस्थितियां हैं।इसलिए, उक्त फैसले से व्यथित, वसीयतदार हमारे समक्ष अपील पर हैं।9. परिवीक्षाधीन न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण का दावा था कि माता-पिता ने अपनी अंतिम वसीयत और नियम को एक स्वस्थ और मन की स्थिति में निष्पादित किया और उन वसीयतों को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निष्पादित किया गया था।भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

1872 की धारा 68 के संदर्भ में, माता आदिलक्ष्मीम्मल की वसीयत के निष्पादन को स्थापित करने के लिए, अपीलार्थीगण ने श्री एस. राजसेकरन से पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की।वह वसीयत के प्रमाणकों में से एक थे।वसीयत के दूसरे प्रमाणक कोई और नहीं बल्कि पिता मन्नार रेड्डियार थे।माता की वसीयत के लेखक श्री बी. नित्यानंदम से भी पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई।

ई.

एफ.

जी.

10. एक श्री एम. दक्षिणामूर्ति, जो पिता मन्नार रेड्डियार की वसीयत के प्रमाणकों में से एक थे, की जांच पीडब्लू-4 के रूप में की गई और श्री वी. शिवराम नाम की उक्त वसीयत के लेखक की जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई।

एच.

11. माता आदिलक्ष्मीम्मल द्वारा निष्पादित वसीयत एक अपंजीकृत वसीयत थी, जबकि पिता मन्नार रेड्डी द्वारा निष्पादित वसीयत एक पंजीकृत वसीयत थी।इन दोनों वसीयतों को क्रमशः प्रदर्शनी पी-1 और पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था।वसीयतकर्ताओं के मृत्यु प्रमाणपत्रों को प्रदर्शनी पी-3 और पी-4 के रूप में चिह्नित किया गया था और प्रत्यर्थीगणओं द्वारा दायर विभाजन मुकदमे में शिकायत की प्रति को प्रदर्शनी पी-5 के रूप में चिह्नित किया गया था।

बी.

12. बेटी कलावती (प्रतिवादी संख्या 1) ने खुद को आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में जांच की और दूसरे भाई श्री वी. एम. शिवकुमार (प्रतिवादी संख्या 2) ने खुद को आर. डब्ल्यू.-2 के रूप में जांच की।प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में कोई दस्तावेज चिह्नित नहीं थे।

13. प्रत्यर्थीगण ने इस आधार पर प्रोबेट कार्यवाही का विरोध किया कि उनके माता-पिता ने कभी भी किसी वसीयत को निष्पादित नहीं किया और बड़े बेटे वी. एम. चंद्रशेखरन ने खाली कागजों पर मां के हस्ताक्षर लेकर और उसे वसीयत में गढ़कर धोखाधड़ी की और किसी भी मामले में वसीयतकर्ताओं को वसीयत के माध्यम से संपत्तियों का निपटान करने का कोई अधिकार नहीं था।14. परिवीक्षाधीन न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थीगणओं ने दोनों वसीयतों के

आसपास की तथाकथित संदिग्ध परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया।यद्यपि प्रत्यर्थीगण ने यह तर्क भी दिया कि वसीयतकर्ताओं को वसीयत के माध्यम से उन संपत्तियों का निपटान करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रोबेट कोर्ट ने इसे इस आधार पर पूरी तरह से खारिज कर दिया कि प्रोबेट कोर्ट की अधिकारिता का दायरा किसी भी संपत्ति के स्वामित्व के विवादित प्रश्नों का निर्णय करना नहीं था।

सी.

डी.

ई.

15. जहाँ तक संदिग्ध परिस्थितियों के आरोपों का संबंध है, प्रोबेट कोर्ट इस बात से आश्वस्त नहीं था कि प्रत्यर्थीगणओं द्वारा उजागर की गई परिस्थितियों ने कोई संदेह पैदा किया है। इसलिए, मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत ने प्रोबेट देने का आदेश दिया।

एफ.

16. परिवीक्षाधीन न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

(i) आदिलक्ष्मीम्मल, दिनांकित 30.01.1995 की अपंजीकृत वसीयत (प्रदर्शनी पी-1) के वसीयतनामा को वसीयत के निष्पादन से पहले बीमारियों से पीड़ित कहा गया था।बीमारियाँ शारीरिक या मानसिक हो सकती हैं और जबकि शारीरिक बीमारी वसीयत की सत्यता पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकती है, मानसिक बीमारी निश्चित रूप से एक आधार होगी।टेस्टैट्रिक्स आदिलक्ष्मीम्मल द्वारा पीड़ित बीमारियों का विवरण प्रस्तुत न करने से संदेह पैदा हो गया; ए

जी.

एच.

853

स्वर्णलता और ओ. आर. एस. बनामकलावती और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन] ए

((ii) पिता मन्नार रेड्डियार के जीवनकाल के दौरान माता आदिलक्ष्मीम्मल की वसीयत की जांच करने में उत्तराधिकारियों की विफलता एक संदिग्ध परिस्थिति है।

(iii) पीडब्लू-1 के अनुसार, पिता मन्नार रेड्डियार द्वारा निष्पादित वसीयत, जिसे प्रदर्शनी पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था, रात के समय 10.12.1998 के दौरान लिखी गई थी, लेकिन पीडब्लू 4 और 5 (प्रमाणकों और लेखकों में से एक) के साक्ष्य के अनुसार वसीयत

7 पर लिखी गई थी:00 प्रातः 3 बजे पंजीकृत किया गया था:00 10.12.1998 पर अपराह्न।पीडब्लू-1 के बयान और इस संबंध में पीडब्लू 4 और 5 के बयानों के बीच विरोधाभास ने संदेह पैदा किया।

बी.

सी.

(iv) पिता की वसीयत के पंजीकरण की तारीख और समय के बारे में पीडब्लू-1 की अज्ञानता एक और परिस्थिति थी जिसने संदेह पैदा किया।

(v) दोनों वसीयतों के निष्पादन के दौरान बेटी और दूसरी बहू की उपस्थिति सुनिश्चित करने में पिता की विफलता एक और संदेह पैदा करने वाली परिस्थिति है।

डी.

(vi) दोनों वसीयतों के निष्पादन के समय इसमें पहले अपीलार्थी की उपस्थिति, अपीलार्थी संख्या 1 के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने के बावजूद, भी एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ई.

(vii) माँ द्वारा निष्पादित पी-1 (वसीयत) को छह पृष्ठों तक प्रदर्शित करें।वसीयतनामा के हस्ताक्षर पृष्ठ 4 और 6 में ठीक उसी स्थान पर पाए जाते हैं।पृष्ठ 4 और 6 के अति-अधिरोपण से पता चलता है कि वसीयतनामा के हस्ताक्षर उसी स्थान पर प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) में लिए गए थे।

एफ.

(viii) प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) के पहले भाग में रेखा स्थान वसीयत के अन्य भागों में रेखा स्थान से अधिक है।वसीयत के अंतिम दो पृष्ठों में लिखे गए लेखन की तुलना में पहले दो पृष्ठों में लिखने की शैली में कुछ अंतर है।प्रमाणक और लेखक के हस्ताक्षर एक छोटी सी जगह के भीतर पाए जाते हैं।प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) के प्रमाणक गवाह के रूप में मन्नार रेड्डियार के हस्ताक्षर 'गवाह' शब्द के नीचे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि बगल में पाए जाते हैं।

जी.

एच.

(ix) यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी संख्या 1 वसीयत के कब्जे में कैसे आया।यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि क्या पहले अपीलार्थी के पति वी. एम. चंद्रशेखरन की माता-पिता से पहले मृत्यु हो गई थी।इस संदर्भ में प्रोबेट की मांग में देरी एक गंभीर संदेह पैदा करती है।

बी.

(x) वसीयत से बेटी का कुल बहिष्कार और वसीयत में उल्लेख करने में विफलता, जिन तारीखों पर बेटी को कुछ राशि का भुगतान किया गया था, महत्वपूर्ण हैं।

17. लेकिन उपरोक्त परिस्थितियों में से प्रत्येक, न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से संदेह पैदा करती है।प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) में माँ आदिलक्ष्मीम्मल के हस्ताक्षर विवादित नहीं हैं।इसे 30.01.1995 पर निष्पादित किया गया था और उनके पति मन्नार रेड्डियार वसीयत के प्रमाणकों में से एक थे।वास्तव में प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) के पढ़ने से पता चलता है कि बेटी कलावती की शादी 1970 में एक बैंक कर्मचारी से हुई थी।प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) के अनुसार, बेटी को शादी के समय 50 सोने के गहने दिए गए थे।उन्हें अलग-अलग समय पर कुल Rs.75,000/- की विभिन्न राशियाँ भी दी गईं।प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) में आगे यह दावा किया गया था कि माँ ने चेन्नई के बाहरी इलाके में अम्बत्तूर में भूमि के दो भूखंड खरीदने के उद्देश्य से बेटी कलावती को Rs.25,000/- दिया था।वसीयत में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेटी की बेटी की शादी दूसरे बेटे वी. एम. शिवकुमार से की गई थी।यही कारण है कि दूसरे बेटे वी. एम. शिवकुमार ने बेटी कलावती के साथ हाथ मिलाया।प्रदर्शनी पी-1 में कलावती के पति (दामाद) द्वारा किए गए ऋण के निर्वहन के लिए भुगतान की गई Rs.40,000/- की राशि का भी उल्लेख किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

18. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सभी पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कारणों का आविष्कार करने के लिए आगे बढ़ा जो तर्क की रेखा से पहले प्रतीत होता है।

19. इसी तरह प्रदर्शनी पी-2 (पिता की वसीयत) में इस आशय के पाठ शामिल हैं कि बेटी की बेटी की शादी दूसरे बेटे वी. एम. शिवकुमार से की गई थी और आदिलक्ष्मीम्मल ने अपने पीछे एक वसीयत छोड़ी थी जिसकी तारीख 30.01.1995 थी।

जी.

20. एक बार जब यह पता चलता है कि पिता मन्नार रेड्डी ने न केवल मां की वसीयत (प्रदर्शनी पी-1) को प्रमाणित किया और एक बार यह पता चलता है कि उनकी अपनी वसीयत (प्रदर्शनी पी-2), जो एक पंजीकृत वसीयत है, में पिता ने ए बनाया था।

एच.

855

स्वर्णलता और ओ. आर. एस. बनामकलावती और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन] ए

माँ की वसीयत के बारे में उल्लेख करते हुए, पेश की जाने वाली सभी संदिग्ध परिस्थितियाँ स्वचालित रूप से जमीन पर गिर जाएंगी।

21. जब यह प्रत्यर्थीगणओं का मामला भी नहीं था कि वसीयतकर्ता स्वस्थ और मानसिक स्थिति में नहीं थे, तो उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उनके द्वारा पीड़ित बीमारियों की प्रकृति का खुलासा नहीं करने के लिए दोष पाया।वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों में से एक का बहिष्कार, अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं।प्रदर्शनी पी-1 में दिए गए कारण यह दिखाने के लिए आश्वस्त करने से कहीं अधिक हैं कि बेटी का बहिष्कार बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हुआ है।यदि प्रदर्शनी पी-1 (वसीयत) को माँ के हस्ताक्षर वाले खाली कागजों पर गढ़ा गया होता, तो पिता के लिए अपनी वसीयत (प्रदर्शनी पी-2) में माँ द्वारा वसीयत के निष्पादन के बारे में उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं होता।

बी.

सी.

22. हम नहीं जानते कि उच्च न्यायालय ने वसीयतों की जांच की मांग में अपीलार्थीगण की ओर से देरी को एक संदिग्ध परिस्थिति कैसे माना।प्रदर्शनी पी-1 को 30.01.1995 पर निष्पादित किया गया था और टेस्टैट्रिक्स की मृत्यु 14.08.1995 पर हुई थी।पिता 08.08.2000 तक जीवित थे।इसलिए, अपीलार्थीगण को उक्त वसीयत की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।08.08.2000 पर मन्नार रेड्डीयार की मृत्यु के बाद, अपीलार्थीगण को स्पष्ट रूप से कोई समर्थन नहीं था, इस तथ्य के कारण कि वी. एम. चंद्रशेखरन (के पति)

डी.

अपीलार्थी नं. 1 और अपीलार्थी के पिता Nos.2 और 3) की पूर्व मृत्यु हो चुकी थी।

ई.

पिता मन्नार रेड्डियार।विवादित फैसले में दर्ज है कि वी. एम. चंद्रशेखरन की मृत्यु अक्टूबर-1999 में हुई थी।

23. अपीलार्थीगण के लिए वसीयत की जांच करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न हुआ जब प्रत्यर्थीगणओं ने 2005 के ओ. एस. No.387 में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। इसलिए, वास्तव में प्रोबेट की मांग में अपीलार्थीगण की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी।

एफ.

24. उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनी पी-2 (वसीयत) के पंजीकरण के समय के बारे में अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से जानकारी की कमी और पीडब्लू-1 के रूप में उसके बयान और पीडब्लू 4 और 5 के बयानों के बीच मामूली विरोधाभासों के बारे में बहुत अधिक पढ़कर एक कठिन स्थिति पैदा कर दी।प्रदर्शनी पी-2 के निष्पादन के समय बेटी और दूसरी बहू की उपस्थिति सुनिश्चित करने में वसीयतकर्ता मन्नार रेड्डियार की विफलता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है।

जी.

25. वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों से संबंधित कानून पहले से ही अच्छी तरह से तय है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।यह है।

एच.

पर्याप्त है अगर हम इसके हाल के निर्णयों में से एक का संदर्भ देते हैं

कविता कंवर बनाम श्रीमती पामेला मेहता और अन्य में न्यायालय। **1** जहाँ

इस न्यायालय ने एच से लगभग सभी पिछले निर्णयों का उल्लेख किया।

वेंकटचाला अयंगर बनाम। बी**.** एन**.** थिम्माजम्मा **2.**लेकिन जिन मामलों में

एक संदेह पैदा किया जाता है अनिवार्य रूप से वे हैं जहां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विवादित हैं या वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता पर सवाल उठाया जाता है।यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि कविता कंवर (ऊपर) में संदर्भित इस न्यायालय के लगभग सभी पिछले निर्णय उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करते हैं, जो वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति की कमी और निपटान की स्थिति के संदर्भ में संदिग्ध परिस्थितियाँ बन गईं।वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में, न्यायालय के लिए यह देखने के लिए कोई जगह नहीं है कि वसीयतकर्ता द्वारा किया गया वितरण उसके सभी बच्चों के लिए उचित और

न्यायसंगत था या नहीं।न्यायालय वसीयत के तहत व्यवहार पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं करता है।

बी.

सी.

26. एक वस्तुनिष्ठ मस्तिष्क के लिए वसीयतकर्ताओं की बेटी और दूसरे बेटे के एक साथ आने के कारणों को समझना मुश्किल नहीं है।विल्स प्रदर्शनी पी-1 और पी-2 दोनों के तहत, दोनों बेटों के बीच संपत्तियों को समान रूप से वितरित किया गया है।पहले बेटे वी. एम. चंद्रशेखरन अब नहीं रहे।माना जाता है कि कलावती की बेटी की शादी वी. एम. शिवकुमार (वसीयतकर्ता के दूसरे बेटे) से की गई है।इसलिए, यदि दो वसीयतों के तहत वसीयत चली जाती है, तो वी. एम. शिवकुमार के परिवार को अंततः संपत्तियों का दो तिहाई हिस्सा मिल सकता है, जो वसीयतों के तहत आधा हिस्सा पाने की तुलना में वी. एम. शिवकुमार के लिए अधिक फायदेमंद है।दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और संदेह के साथ वसीयतों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया।इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को बनाए रखने में असमर्थ है।

डी.

ई.

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपील की अनुमति है।उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और दोनों वसीयतों की जांच करने वाले प्रधान जिला न्यायालय, वेल्लोर के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एफ.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

1 ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 544 2 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443

एच.